

केन्द्रीय सूचना आयोग
वावा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/182
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00165
CICOM/R/2018/00478

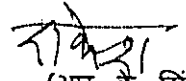
दिनांक: 20.07.2018

अपीलकर्ता : श्री ओ. पी. खेरालिया,
9/4687, गली नं. 1,
अजीत नगर, गांधी नगर,
दिल्ली - 110031.

निर्णय की तारीख : 20.07.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	01.05.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	07.06.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री किशोर कुमार पुखराल
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	25.06.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	315/03.07.2018 (299/02.07.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 01.05.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय सं. W.P. (c) 6735/2007 से संबंधित दस विंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री किशोर कुमार पुखराल, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।
2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त संदर्भित आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ श्री किशोर कुमार पुखराल, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि किसी अधिकारी द्वारा न्यायालय के आदेशों की व्याख्या या उन पर टिप्पणी नहीं की जा सकती।
3. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, वावा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।


(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

